



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
**ग्रामीण निर्माण विभाग,**  
 तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 0135-2976444  
 Website www.res.uk.gov.in



**पत्रांक ५७२ /ग्रा0नि0वि0/स्था0-स्थानान्तरण/ 2025-26 दिनांक 05 जून 2025.**

### स्थानान्तरण आदेश

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश सं0 120990 दिनांक 10.05.2023 शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 दिनांक 15.04.2025 के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री कुलदीप कुमार, वैयक्तिक अधिकारी का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (घ) के अन्तर्गत वर्तमान तैनाती स्थल परिमण्डल पिथौरागढ़ से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून में किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- श्री कुलदीप कुमार, वैयक्तिक अधिकारी का माह जून का वेतन किसी भी दशा में परिमण्डल पिथौरागढ़ से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 5- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 6- उक्त धारा के क्रम में कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 11-06-2025 तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 13-06-2025 होगी।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 8- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित / टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 10- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

#### **पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) ग्रा0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 6- श्री कुलदीप कुमार, वैयक्तिक अधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़।
- 7- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

**Digitally signed by**  
**VIBHU VISHWAMITRA RAWAT**  
**Date: 04-06-2025 14:34:59**

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
**ग्रामीण निर्माण विभाग,**  
 तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 0135-2976444  
 Website www.res.uk.gov.in



**पत्रांक ५७८ /ग्रा०नि०वि०/स्था०-स्थानान्तरण/ 2025-26 दिनांक ०५ जून 2025.**

### स्थानान्तरण आदेश

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश सं० 120990 दिनांक 10.05.2023 शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 दिनांक 15.04.2025 के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्रीमती राधा बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अन्तर्गत वर्तमान तैनाती स्थल ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड बागेश्वर से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल नैनीताल में किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- श्रीमती राधा बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का माह जून का वेतन किसी भी दशा में प्रखण्ड बागेश्वर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल नैनीताल से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 5- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 6- उक्त धारा के क्रम में कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 11-06-2025 तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 13-06-2025 होगी।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 8- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित / टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 10- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

### पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी बागेश्वर / नैनीताल।
- 5- श्रीमती राधा बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रा० नि० वि०, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 6- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

**Digitally signed by**  
**VIBHU VISHWAMITRA RAWAT**  
**Date: 04-06-2025 14:28:06**

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
**ग्रामीण निर्माण विभाग,**  
 तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 0135-2976444  
 Website www.res.uk.gov.in



**पत्रांक ५४५ /ग्रा०नि०वि०/स्था०-स्थानान्तरण/ 2025-26 दिनांक ०५ जून 2025.**

### स्थानान्तरण आदेश

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश सं० 120990 दिनांक 10.05.2023 शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 दिनांक 15.04.2025 के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत मो० इरफान, वैयक्तिक सहायक का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (ख) (एक) के अन्तर्गत वर्तमान तैनाती स्थल ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से कार्यालय अधि०अभि० (वि०/यो०) देहरादून में किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- मो० इरफान, वैयक्तिक सहायक का माह जून का वेतन किसी भी दशा में प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधि०अभि० (वि०/यो०) देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 5- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 6- उक्त धारा के क्रम में कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 11-06-2025 तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 13-06-2025 होगी।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 8- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित / टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 10- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

#### **पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/ देहरादून।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग / (वि०/यो०) कार्यालय देहरादून।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी रूद्रप्रयाग / देहरादून।
- 5- मो० इरफान, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रा० नि० वि०, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
- 6- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

**Digitally signed by**  
**VIBHU VISHWAMITRA RAWAT**  
**Date: 04-06-2025 14:27:08**

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
**ग्रामीण निर्माण विभाग,**  
 तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 0135-2976444  
 Website www.res.uk.gov.in



**पत्रांक ५८८ /ग्रा०नि०वि०/स्था०-स्थानान्तरण/ 2025-26 दिनांक ०५ जून 2025.**

### स्थानान्तरण आदेश

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश सं० 120990 दिनांक 10.05.2023 शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 दिनांक 15.04.2025 के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (ग) के अन्तर्गत वर्तमान तैनाती स्थल ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड चमोली से प्रखण्ड उधमसिंहनगर में किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का माह जून का वेतन किसी भी दशा में प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन प्रखण्ड उधमसिंहनगर से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 5- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 6- उक्त धारा के क्रम में कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 11-06-2025 तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 13-06-2025 होगी।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 8- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित / टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 10- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

#### **पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पोड़ी/नैनीताल।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली / उधमसिंहनगर।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी चमोली / उधमसिंहनगर।
- 5- श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक] द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रा० नि० वि०, प्रखण्ड चमोली।
- 6- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

**Digitally signed by**  
**VIBHU VISHWAMITRA RAWAT**  
**Date: 04-06-2025 14:27:36**

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
**ग्रामीण निर्माण विभाग,**  
 तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 0135-2976444  
 Website www.res.uk.gov.in



**पत्रांक ५१५ /ग्रा0नि0वि0/स्था0-स्थानान्तरण/ 2025-26 दिनांक 05 जून 2025.**

### **स्थानान्तरण आदेश**

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश सं0 120990 दिनांक 10.05.2023 शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 दिनांक 15.04.2025 के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्रीमती प्रियंका, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अन्तर्गत वर्तमान तैनाती स्थल ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड अल्मोड़ा से प्रखण्ड रूद्रप्रयाग में किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- श्रीमती प्रियंका, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का माह जून का वेतन किसी भी दशा में प्रखण्ड अल्मोड़ा से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 5- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 6- उक्त धारा के क्रम में कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 11-06-2025 तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 13-06-2025 होगी।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 8- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित / टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 10- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

### **पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पोड़ी/नैनीताल।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा/ प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी रूद्रप्रयाग / अल्मोड़ा
- 5- श्रीमती प्रियंका, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 नि0 वि0, प्रखण्ड अल्मोड़ा
- 6- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

**Digitally signed by**  
**VIBHU VISHWAMITRA RAWAT**  
**Date: 04-06-2025 14:28:35**

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
**ग्रामीण निर्माण विभाग,**  
 तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
 E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 0135-2976444  
 Website www.res.uk.gov.in



**पत्रांक ५१८ /ग्रा०नि०वि०/स्था०-स्थानान्तरण/ 2025-26 दिनांक ०५ जून 2025.**

### स्थानान्तरण आदेश

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश सं० 120990 दिनांक 10.05.2023 शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 दिनांक 15.04.2025 के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री नवीन चन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अन्तर्गत वर्तमान तैनाती स्थल ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड उधमसिंहनगर से ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड अल्मोड़ा में किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- श्री नवीन चन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का माह जून का वेतन किसी भी दशा में प्रखण्ड उधमसिंहनगर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा से ही आहरित किया जायेगा।
- 4- कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 5- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 6- उक्त धारा के क्रम में कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 11-06-2025 तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 13-06-2025 होगी।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 8- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 9- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 (4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित / टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 10- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

### **पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उधमसिंहनगर / प्रखण्ड अल्मोड़ा।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उधमसिंहनगर / अल्मोड़ा।
- 5- श्री नवीन चन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रा० नि० वि०, प्रखण्ड उधमसिंहनगर
- 6- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

**Digitally signed by**  
**VIBHU VISHWAMITRA RAWAT**  
**Date: 04-06-2025 14:29:05**

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)**  
 ग्रामीण निर्माण विभाग,  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।